पूरी बेंच

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सी. जैन, हरबंस लाल और माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एम. पुंछी के सामने,

कृष्णा राइस मिल्स,-याचिकाकर्ता।
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।
1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 1863।
3 अप्रैल 1980।

हरियाणा चावल खरीद (लेवी) आदेश, 1979—खंड 3—हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 का XX)—धारा 2(एल) और 6—लेवी आदेश के तहत चावल की अनिवार्य खरीद—चाहे बिक्री कर के तहत 'बिक्री' हो अधिनियम—ऐसी खरीद—चाहे करयोग्य हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा चावल खरीद (लेवी) आदेश, 1979 के अनुसरण में सरकार को चावल की अनिवार्य बिक्री, ऐसी बिक्री नहीं है, जो हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत कर योग्य हो। (पैरा 10)

नोट:- भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम पंजाब राज्य आदि आई.एल.आर. (1976)2 पंजाब और हरियाणा 587 में दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले को मैसर्स विष्णु एजेंसियों (पी.) लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अन्य, ए.आई.आर. 1978, एस.सी.449 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी में अच्छा कानून माना गया।

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 18 दिसंबर, 1979 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी की खंडपीठ द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, माननीय श्री न्यायमूर्ति हरबंस लाल और माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी की पूर्ण पीठ ने अंततः 3 अप्रैल, 1980 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

> (ए) परमादेश की एक रिट जारी की जा सकती है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश, - अनुबंध पी 1 के तहत, अवैध हैं, शून्य और असंवैधानिक हैं और प्रतिवादी को बिक्री कर का आकलन करने से रोका जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने लेवी आदेश के तहत राज्य सरकार को बारदाना के साथ चावल की अनिवार्य बिक्री के लेनदेन को अवैध रूप से बिक्री के रूप में माना।

(बी) और प्रतिवादी को आवश्यक निर्देश जारी किया जा सकता है कि अनिवार्य लेवी योजना के तहत राज्य सरकार को चावल की आपूर्ति बिक्री का लेनदेन नहीं है और इसलिए, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर योग्य नहीं है।

(सी) या ऐसी अन्य उचित रिट या निर्देश जारी किया जा सकता है जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जा सकता है।

(डी) विज्ञापन अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया जा सकता है, जिससे प्रतिवादियों को वर्ष 1977-78, 1978-79 के लिए चावल खरीद योजना के तहत राज्य सरकार को चावल की अनिवार्य बिक्री के लेनदेन पर याचिकाकर्ता के खिलाफ बिक्री कर का आकलन करने से रोका जा सकता है।

(ई) प्रतिवादी के खिलाफ याचिका की लागत की अनुमति दी जा सकती है।

सरूप चंद गोयल के वकील के.पी. भंडारी, याचिकाकर्ता के वकील रवि कपूर और वकील पवन कुमार बंसल।

प्रतिवादी की ओर से नौबत सिंह सीनियर डी. ए. जी. (एच.)।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन,

(1) याचिकाकर्ता चावल के मिल का मालिक हैं और हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (बाद में बिक्री कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत डीलर हैं और हरियाणा खाद्यान्न डीलर लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण आदेश, 1978 के तहत लाइसेंसधारी हैं। पंजाब चावल खरीद (लेवी) आदेश, 1958 के तहत, जो उस समय हरियाणा राज्य पर लागू था, और अब हरियाणा चावल खरीद (लेवी) आदेश, 1979 (इसके बाद इसे 1979, लेवी आदेश के रूप में संदर्भित) के तहत लागू है। प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त डीलर या लाइसेंस प्राप्त मिल मालिक को उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित चावल का एक निश्चित प्रतिशत एक निश्चित मूल्य पर सरकार को वितरित करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक के माध्यम से राज्य सरकार को चावल की आपूर्ति कर रहा था, 1979 लेवी आदेश का खंड 3 इस प्रकार है:-

"3. (1) प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त मिलर और लाइसेंस प्राप्त डीलर सरकार को अपने चावल मिल में उत्पादित या निर्मित या प्राप्त किए गए बोल्ड ग्रुप चावल की प्रत्येक किस्म का अस्सी प्रतिशत और स्लेंडर ग्रुप चावल की प्रत्येक किस्म का तीस प्रतिशत खरीद मूल्य पर बेचेगा। इस आदेश के शुरू होने की तारीख से शुरू होकर जब तक सरकार अन्यथा निर्देश न दे, हर दिन अपने धान के स्टॉक से मिलिंग करेगी।

(2) उप-खंड (1) के तहत सरकार को बेचे जाने वाले चावल को लाइसेंस प्राप्त मिलर या लाइसेंस प्राप्त डीलर द्वारा निदेशक या ऐसे अन्य व्यक्ति को वितरित किया जाएगा, जिसे निदेशक द्वारा उसकी डिलीवरी लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ओर से।

(3) सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाने वाले सामान्य आदेश द्वारा, इस आदेश के तहत सरकार को बेचे जाने वाले चावल के प्रतिशत में बदलाव कर सकती है।

(2) यह प्रश्न कि क्या लेवी खरीद योजना के अनुसरण में सरकार को खाद्यान्नों की अनिवार्य बिक्री बिक्री का लेनदेन है ताकि बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत/कर योग्य हो, यूपी गेहूं खरीद (लेवी) आदेश, 1959 से उत्पन्न एक मामले, मैसर्स चैबिटर माई नारायण दास बनाम बिक्री कर आयुक्त[1] में विचार के लिए आया, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया था: -

"हमारे फैसले में खंड 3 राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त डीलरों से संबंधित गेहूं के स्टॉक के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक मशीनरी स्थापित करता है। यह सच है कि आदेश गेहूं की आपूर्ति के स्थान और तरीके तथा नियंत्रित मूल्य के भुगतान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता है। इसमें दिन-ब-दिन निर्दिष्ट मात्रा में गेहूं की आपूर्ति करने के लिए एक गंजा निषेधाज्ञा शामिल है, और यह अधिनियमित करता है कि अनुपालन में चूक करने पर डीलर को दंडित किया जा सकता है, इसमें किसी भी सहमति की व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की गई है। इसमें राज्य सरकार को किसी अनौपचारिक अनुबंध में प्रवेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बिक्री भुगतान की गई या वादा की गई कीमत पर अनुबंध करने में सक्षम व्यक्तियों के बीच माल की बिक्री के अनुबंध की भविष्यवाणी करती है; ऐसा लेन-देन जिसमें माल की आपूर्ति करने का दायित्व लगाया गया है और जिसमें अनुबंध में प्रवेश करने की बाध्यता शामिल नहीं है, उसे 'बिक्री' नहीं कहा जा सकता है, भले ही माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति

[1] ए आई आर 1970 अस सी 2000

> को माल के मूल्य का हकदार घोषित किया गया हो, जो निर्धारित है या निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। यह मानते हुए कि लाइसेंस प्राप्त डीलर और नियंत्रक के बीच, गेहूं की डिलीवरी के स्थान और तरीके के बारे में कुछ व्यवस्था हो सकती है, और 'नियंत्रित मूल्य' का भुगतान, खंड 3 का संचालन उस खाते पर संविदात्मक नहीं बनता है।

(3) इसके बाद, पंजाब चावल खरीद (लेवी) आदेश से उत्पन्न एक मामला भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम पंजाब राज्य आदि[2] में इस न्यायालय की एक पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। पूरे मामले के कानून पर विचार करने और छीतर माई के मामले में फैसले के आधार पर, खंडपीठ ने इस प्रकार कहा: -

> "मामले के तथ्य बिल्कुल छित्तर माई के मामले के समान हैं और उस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल लागू होता है। छित्तर माई के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून को लागू करते हुए मेरे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि मिल मालिकों या डीलरों और पंजाब राज्य या उसके अधिकारियों के बीच कोई अनुबंध नहीं था जिसके अनुसार चावल बेचा गया था। लेन-देन एक कर योग्य घटना नहीं थी और उत्तरदाता संख्या 2 और 3 को मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा खरीद कर के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था।

(4) इसके बाद, मैसर्स विष्णु एजेंसीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य[3] में सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है जिसमें डब्ल्यू.बी. सीमेंट नियंत्रण अधिनियम, 1948 और आंध्र प्रदेश धान खरीद (लेवी) के तहत जारी सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1948 के प्रावधान हैं। आदेश, व्याख्या के लिए आये। उन विशेष आदेशों के प्रावधानों पर विचार करने पर, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने इस प्रकार कहा: -

> "गैनन डंकरले (ए.टी.आर. 1958 एस.सी. 560) के अनुपात को लागू करना, इसलिए निर्णय के लिए सही प्रश्न यह है कि क्या सीमेंट की आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किए गए नियंत्रण आदेशों के संदर्भ में, लेनदेन जिसके तहत अपीलकर्ता ने उन व्यक्तियों को सीमेंट की आपूर्ति की, जिन्हें अपीलकर्ता से वस्तु प्राप्त करने के लिए अधिकारियों द्वारा परमिट जारी किए गए थे, इसमें इच्छाशक्ति या कामुकता का तत्व शामिल था। यदि उन्होंने ऐसा किया, तो लेन-देन बिक्री के बराबर होगा, अन्यथा नहीं। यह

---

[2] आई आल आर 1976(2) पंजाब और हरियाणा 587

[3] ए आई आर 1978 अस सी 440

निर्विवाद है कि 1948 के पश्चिम बंगाल आदेश के पैरा 2 के तहत, जिसे हमने सुविधा के लिए सीमेंट नियंत्रण आदेश के रूप में नामित किया है, कोई भी व्यक्ति लिखित आदेश में निहित शर्तों के अलावा किसी भी सीमेंट का निपटान नहीं कर सकता है या निपटान के लिए सहमत नहीं हो सकता है। उपभोक्ता वस्तुओं के निदेशक या उस पैराग्राफ में निर्दिष्ट प्राधिकारियों की। यह डीलर के सीमेंट आपूर्ति के अधिकार पर एक सीमा है। पैराग्राफ 3 के अनुरूप, कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता वस्तुओं के निदेशक या उस पैराग्राफ में निर्दिष्ट अधिकारियों के लिखित आदेश में निहित शर्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति से सीमेंट प्राप्त नहीं कर सकता है या प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं हो सकता है। यह उपभोक्ता के सीमेंट प्राप्त करने के अधिकार पर एक सीमा है। पैराग्राफ 4 उस कीमत पर प्रतिबंध लगाता है जो एक डीलर वस्तु के लिए ले सकता है, बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचित मूल्य से अधिक कीमत पर सीमेंट नहीं बेचेगा। पैराग्राफ 8 डीलर पर यह प्रावधान करके सीमेंट की आपूर्ति करने का दायित्व डालता है कि कोई भी व्यक्ति या स्टॉकिस्ट जिसके पास सीमेंट का कोई स्टॉक है और जिसे पैरा 2 के तहत एक लिखित आदेश जारी किया गया है, वह अधिसूचित कीमत से अधिक कीमत पर बेचने से इनकार नहीं करेगा। जो व्यक्ति सीमेंट नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह पश्चिम बंगाल सीमेंट नियंत्रण अधिनियम, 1948 की धारा 6 के तहत तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।

माल की आपूर्ति और प्राप्त करने के लिए डीलरों और उपभोक्ताओं के सामान्य अधिकार, पार्टियों पर लगाए गए दायित्व और नियंत्रण आदेश द्वारा निर्धारित दंड पर ये सीमाएं, हमारी राय में, उस स्थिति के खिलाफ नहीं हैं जो अंततः, पार्टियों को माना जाना चाहिए एक समझौते के तहत लेन-देन पूरा करना जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को माल की बताई गई मात्रा को अधिसूचित मूल्य से अधिक कीमत पर आपूर्ति करने के लिए बाध्य होता है और दूसरा पक्ष इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर माल स्वीकार करने के लिए सहमत होता है। संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में जारी किया गया परमिट या आवंटन आदेश, प्रस्ताव और स्वीकृति हमेशा प्राथमिक रूप में नहीं होनी चाहिए, न ही अनुबंध या माल की बिक्री के कानून के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंध के लिए सहमति व्यक्त होनी चाहिए। यह सामान्य बात है कि प्रस्ताव और स्वीकृति को पार्टियों के आचरण से स्पष्ट किया जा सकता है जिसमें न केवल उनके कार्य बल्कि चूक भी शामिल होती है। दरअसल, कई मौकों पर मौन वाक्पटुता से भी अधिक वाक्पटु हो सकता है। जिस प्रकार पार्टियों के बीच पत्राचार किसी प्रस्ताव और स्वीकृति का गठन या खुलासा कर सकता है, उसी प्रकार उनका आचरण भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है,

क्योंकि कानून को किसी भी निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूले के अनुरूप प्रस्ताव और स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पार्टियों के बीच कोई समझौता या सहमति थी, हमें उस समय या उसके आसपास उनके आचरण को ध्यान में रखना होगा जब सामान का आदान-प्रदान हुआ था। सबसे पहले, किसी व्यापारी के लिए सीमेंट का व्यापार करना और न ही इसे प्राप्त करना किसी के लिए अनिवार्य है। इसलिए, प्राथमिक तथ्य यह है कि किसी आवश्यक वस्तु का सौदा करने का व्यापारी का निर्णय स्वैच्छिक होता है। ऐसी इच्छा अपने साथ नियंत्रण आदेशों की शर्तों पर सख्ती से वस्तु का व्यापार करने की इच्छा रखती है। उपभोक्ता भी, जिस पर सीमेंट प्राप्त करने या रखने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, वह अपनी इच्छा से परमिट या अपने पक्ष में जारी आवंटन आदेश की शर्तों पर इसे प्राप्त करने का निर्णय लेता है। यह दो पक्षों को एक साथ लाता है जिनमें से एक आवश्यक वस्तु की आपूर्ति करने को तैयार है और दूसरा इसे प्राप्त करने के लिए। जब आवंटी डीलर को अपना परमिट प्रस्तुत करता है, तो वह परमिट में बताई गई शर्तों पर डीलर से वस्तु प्राप्त करने की अपनी इच्छा दर्शाता है। उनका आचरण उनकी सहमति को दर्शाता है और जब, परमिट की प्रस्तुति पर, डीलर उस पर कार्य करता है, तो वह आवंटी को उन शर्तों पर वस्तु की आपूर्ति करने के लिए सहमत होता है जिनके द्वारा उसने स्वेच्छा से खुद को वस्तु में व्यापार करने के लिए बाध्य किया है। उनका आचरण भी उनकी सहमति को दर्शाता है 'इस प्रकार, हालांकि दोनों पक्ष लेनदेन को नियंत्रित करने वाली कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं, वे वैधानिक शर्तों पर लेनदेन में प्रवेश करने के लिए आपस में सहमत हैं, एक उन शर्तों पर दूसरे को वस्तु की आपूर्ति करने के लिए सहमत है और दूसरा उन्हीं शर्तों पर उसे स्वीकार करने के लिए सहमत है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि अपीलकर्ता और आवंटियों के बीच लेनदेन सहमति से नहीं हुआ है। वे, अपनी स्वतंत्र सहमति से, लेनदेन में शामिल होने के लिए सहमत हुए।

हमारी यह भी राय है कि यद्यपि लेनदेन की शर्तें ज्यादातर कानून द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें पार्टियों के लिए सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिम बंगाल सीमेंट नियंत्रण अधिनियम, 1948 धारा 3 द्वारा सरकार को उन कीमतों को विनियमित या नियंत्रित करने का अधिकार देता है जिन पर सीमेंट खरीदा या बेचा जा सकता है। सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1948 के पैराग्राफ 4 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचित 'मूल्य' से अधिक पर सीमेंट नहीं बेचेगा, जिससे पार्टियों को अधिसूचित मूल्य से कम मूल्य वसूलने और भुगतान करने का अधिकार होगा, अधिसूचित मूल्य है अधिकतम मूल्य जो कानूनी रूप से वसूला जा सकता है। आदेश का पैराग्राफ 8 उसी दिशा में इंगित करता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी डीलर जिसके पास सीमेंट का स्टॉक है, उसे

'अधिसूचित मूल्य से अधिक ' कीमत पर बेचने से इनकार नहीं करेगा, जिससे उसे कम कीमत वसूलने का मौका मिलेगा। वह कीमत जिसे आवंटी भुगतान करने के लिए बहुत ही सहमत होगा। पैराग्राफ 8 में आगे प्रावधान है कि डीलर कीमत के भुगतान के बाद 'उचित समय के भीतर' सीमेंट वितरित करेगा। जाहिर तौर पर तर्कसंगतता की सीमा के भीतर, डिलीवरी का समय तय करना पार्टियों के लिए खुला होगा। पैराग्राफ 8-ए, जो आवंटी को माल का वजन मांगने का अधिकार प्रदान करता है, यह भी दर्शाता है कि वह इस आधार पर वजन कम होने के आधार पर वजन को अस्वीकार कर सकता है, वास्तव में, उसके पास उन्हें अस्वीकार करने का निस्संदेह अधिकार होगा। इस आधार पर कि वे अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं। यह परिस्थिति कि इन क्षेत्रों में न्यूनतम होते हुए भी, लेन-देन के पक्षों को सौदेबाजी करने की स्वतंत्रता है, इस दृष्टिकोण के विरुद्ध है कि लेन-देन सहमति से नहीं हुआ है।''

(5) ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आधार पर, - हरियाणा सरकार ने, निर्देश, - 3922/पंजीकृत 6/एस 11 दिनांक 8 सितम्बर 1978, प्रति आर्मेक्स्योर ट्र. मैं कर निर्धारण प्राधिकारियों से सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध करता हूं कि 'इरुमजाब आरटीई प्रोक्योरमेंट (लेवी) आदेश, 1058 के प्रावधानों के तहत लेवी खरीद योजना के अनुसरण में राज्य सरकार को चावल की अनिवार्य हिस्सेदारी, बिक्री के लेनदेन के बराबर है। और टीएन बेल्स लैक्स अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिक्री कर की वसूली के अधीन होने के लिए उत्तरदायी है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन अधिकारियों ने जूँ खरीद (लेवी) के अनुसरण में लेनदेन को बिक्री के रूप में मानना शुरू कर दिया। जैसा कि इन निर्देशों के अनुसरण में है याचिकाकर्ता पर बिक्री कर लगाने की धमकी दी गई है, इन निर्देशों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई है।

(6) याचिका इस न्यायालय की एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। चूंकि खाद्य निगम के एलएनएएम मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले की शुद्धता को मैसर्स विष्णु एजेंसियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर चुनौती दी गई थी। बेंच ने यह उचित समझा कि मामला एक बड़ी बेंच द्वारा तय किया जाना चाहिए और इस तरह हम इस मामले से सहमत हैं।

(7) शुरुआत में, यह देखा जा सकता है कि डिवीजन बेंच के साथ-साथ हमारे सामने भी राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने बहुत निष्पक्षता से स्वीकार किया कि सरकार के लिए मूल्यांकन अधिकारियों को ऐसे निर्देश जारी करना उचित नहीं था। उस स्कोर पर राज्य के वकील ने अपना आश्वासन दिया कि राज्य सरकार लागू निर्देशों को वापस ले लेगी। यदि हमने यह आश्वासन मान लिया होता तो रिट याचिका निरर्थक हो जाती;

लेकिन हमारे सामने आए मामले के महत्व को देखते हुए हमने विवाद के गुण-दोषों पर भी गौर करने का फैसला किया।

(8) हमारे विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या भारतीय खाद्य निगम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय मैसर्स विष्णु एजेंसियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खारिज हो जाता है। सही स्थिति का पता लगाने के लिए मैसर्स विष्णु एजेंसीज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला, हमने पढ़ा। छीतर माई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसके आधार पर भारतीय खाद्य निगम के मामले का फैसला किया गया था।

(9) पूरे मामले पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमने पाया कि नियंत्रण आदेश जो विष्णु एजेंसियों के मामले में निर्णय का विषय थे, लेवी आदेशों से अलग थे जिसके तहत राज्य सरकार अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक आवश्यक वस्तुओं की मशीनरी स्थापित करती है। इसके अलावा, छीतर माई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस पर भारतीय खाद्य निगम के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा मामले का निर्णय करने के लिए भरोसा किया गया था, सही मायने में मान्य है और इसे अप्रत्यक्ष रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि टिप्पणियों से स्पष्ट होगा। विष्णु एजेंसियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का उनका आधिपत्य, जो इस प्रकार है: -

> छित्तर माई नारायण दास बनाम बिक्री कर आयुक्त 1971 (1 एससीआर 671), (एआईआर 1970 एससी 2,000) में अपीलकर्ता जो खाद्यान्न के डीलर थे, उन्होंने यूपी गेहूं खरीद (लेवी) आदेश, 1959 के प्रावधानों के अनुपालन में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक को विभिन्न मात्रा में गेहूं की आपूर्ति की। उच्च न्यायालय ने बिक्री कर अधिनियम के तहत अपने संदर्भ में कहा कि लेनदेन बिक्री के बराबर था और बिक्री कर के दायरे में था। इस न्यायालय में अपील में यह शाह और हेज, न्यायमूर्ति की एक खंडपीठ द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि सीएल था। यूपी के 3 अधिप्राप्ति (लेवी) आदेश, 1959 राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त डीलरों से संबंधित गेहूं के स्टॉक के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक मशीनरी स्थापित करता है, इस आदेश में दिन-ब-दिन निर्दिष्ट मात्रा के गेहूं की आपूर्ति करने के लिए जंक्शन में एक गंजा शामिल है, जो कि किया गया था किसी भी सहमतिपूर्ण व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की गई है और आदेश में राज्य सरकार को आपूर्तिकर्ता के साथ अनौपचारिक अनुबंध करने की भी आवश्यकता नहीं है। बेंच का फैसला सुनाते हुए, शाह, न्यायमूर्ति ने कहा कि जिस लेनदेन में माल की आपूर्ति करने का दायित्व लगाया जाता है, और जिसमें अनुबंध में प्रवेश करने की बाध्यता शामिल नहीं होती है, उसे 'बिक्री' नहीं कहा जा सकता है, भले ही आपूर्ति करने वाला व्यक्ति ही क्यों न हो। माल को माल के उस मूल्य का हकदार घोषित

> किया जाता है जो इसमें निर्धारित किया जाता है; निर्धारित ढंग. यह देखा गया कि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स (ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 478) में निर्णय इस दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराता है कि भले ही लेनदेन के बुनियादी सिद्धांतों के संबंध में अनुबंध की स्वतंत्रता पूरी तरह से बाहर रखी गई हो, माल की आपूर्ति का लेनदेन। नियंत्रण आदेश के तहत जारी किए गए निर्देशों को बिक्री के रूप में माना जा सकता है। यह निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि गेहूं खरीद आदेश के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण की प्रकृति के रूप में माना गया था जो डीलर को गेहूं की आपूर्ति करने के लिए बाध्य करता है। दिन प्रतिदिन। राज्य द्वारा संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले एक अलग स्तर पर खड़े होते हैं क्योंकि ऐसे मामलों में प्रस्ताव और स्वीकृति का कोई सवाल नहीं है और न ही व्यक्त या निहित सहमति का।

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यद्यपि संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण आपसी सहमति के तत्व को बाहर कर देगा जो बिक्री के लिए महत्वपूर्ण है, विद्वान न्यायाधीश, सम्मान के साथ, छित्तर माई (ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 2,000) में निर्णय लेने में सही नहीं थे। भले ही डिलीवरी के स्थान और कीमत के भुगतान के स्थान के संबंध में * एक सहमति व्यवस्था हो सकती है, लेनदेन बिक्री की राशि नहीं होगी (पी. 677) (एससीआर की): (पेज 2004 क्यू एफ. ए पर) .एलआर.). कानून में सही स्थिति वही है जो ऊपर बताई गई है, अर्थात्, जब तक आपसी सहमति, व्यक्त या निहित है। पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया है, लेन-देन बिक्री के बराबर होगा। छित्तर माई में अंतिम निर्णय को केवल इस दृष्टिकोण से उचित ठहराया जा सकता है कि सी.एल. गेहूं खरीद आदेश के 3 में राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त डीलर से गेहूं के अनिवार्य अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है। इस दृष्टिकोण से देखने पर, हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की न्यायालय की आलोचना का समर्थन नहीं कर सकते। कोर्ट इन कमिश्नर सेल्स टैक्स, उ.प्र. बनाम राम बिलास राम गोपाल[4], जो सीएल की व्याख्या करते समय आयोजित किया गया था। 3 कि जब तक कुछ क्षेत्रों में सौदेबाजी करने की स्वतंत्रता थी तब तक लेन-देन बिक्री के बराबर हो सकता था, भले ही यह किसी क़ानून की बाध्यता के तहत किया गया हो। यूपी की योजना पर नजर गेहूं खरीद आदेश, विशेष रूप से सी.एल. 3 इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि छित्तर माई के इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि लेन-देन, सच्चाई और सार में अनिवार्य अधिग्रहण की प्रकृति का था, जिसमें किसी भी क्षेत्र में सौदेबाजी करने की कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। शाह, जे. ने सीएल की न्यायालय की व्याख्या व्यक्त की। 3 बिना किसी अनिश्चित शब्दों में, यह कहकर कि 'इसमें किसी सहमतिपूर्ण व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की गई थी।'

---

[4] ए आई आर 1940 इलाहाबाद 518

(10) उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि नियंत्रण आदेश जिसके तहत खाद्यान्न के अनिवार्य अधिग्रहण को एक अलग स्तर पर खड़ा किया जा सकता है और उन मामलों में लेनदेन बिक्री की राशि नहीं होगी। यह सही है कि उनके आधिपत्य चित्तर माई के मामले में विद्वान न्यायाधीशों की टिप्पणियों से इस आशय से सहमत नहीं थे कि भले ही डिलीवरी की जगह और कीमत के भुगतान की जगह के संबंध में एक सहमति व्यवस्था हो सकती है, लेनदेन बिक्री के बराबर नहीं होगा, लेकिन उन टिप्पणियों के बावजूद, जहां तक प्रासंगिक खरीद आदेशों के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों का सवाल है, छीतर माई के मामले में दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया था। ऐसा होने पर, विद्वान राज्य वकील की इस दलील में कोई दम नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम के मामले में इस न्यायालय का फैसला खारिज कर दिया गया है और यह एक सही कानून नहीं बनाता है।

(11) इस मामले को ध्यान में रखते हुए: राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देश, याचिका के अनुलग्नक पी.1 की प्रति, कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकते हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

(12) नतीजतन, हम इस याचिका को लागत सहित स्वीकार करते हैं और हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देशों को रद्द करते हैं, - पत्र संख्या के माध्यम से। 3922/रजि. 6/एसआईआई, दिनांक 8 सितंबर, 1978 (कॉपी अनुलग्नक पी. 1) वकील का शुल्क रु. 250।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा